

भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय

प्रशिक्षण एजेंसियों के पैनल में शामिल करने के लिए एक्सप्रेसन ऑफ इंटरेस्ट

भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, संचालित फ्लैगशिप परियोजना, रिवैम्पड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के तहत प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए योग्य प्रशिक्षण एजेंसियों से एक्सप्रेसन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया जाता है।

विस्तृत जानकारी जैसे कि स्कोप, पूर्व-योग्यता मानदंड, मूल्यांकन मानक, शर्तें और सुझावित उत्तर प्रारूप आदि, मंत्रालय की वेबसाइट (<https://panchayat.gov.in/>) और CPP पोर्टल (<https://eprocure.gov.in/>) पर उपलब्ध है।

जो एजेंसियां पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करती हैं, वे अपने एक्सप्रेसन ऑफ इंटरेस्ट को, सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक सीलबंद लिफाफे में प्रेषित करेंगे। यह सबमिशन दस्तावेज एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित कवरिंग लेटर के साथ होनी चाहिए और 1 अक्टूबर, 2024 को 16:00 बजे तक या उससे पहले, निम्नलिखित पते पर पहुंचनी चाहिए:

श्री पंकज कुमार
अवर सचिव (सी.बी.)
पंचायती राज मंत्रालय
11वीं मंजिल, जीवन प्रकाश भवन
K. G. मार्ग, नई दिल्ली-110001

CBC- 30101/11/0002/2425